

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, पिपलिया
जिला मन्दसौर (म.प्र.)

awmpipmas-mp@nic.in

Ph - 07424-241026

क्रमांक/मण्डी/नि./16-17/2088

पिपलिया, दिनांक 03/03/2017

व्यापारिक भू-खण्ड हेतु नीलामी विज्ञापित

कृषि उपज मंडी समिति पिपलिया, जिला मंदसौर के अंतर्गत उपमंडी मल्हारगढ़ के नवीन मंडी प्रांगण में भू-खण्ड हेतु नीलामी कवर्ड शेड पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर 10000 भूमि एवं संरचना आवंटन नियम 2009 (म0प्र0 राजपत्र-प्रकाशन दिनांक 25.05.2009 में वर्णित समस्त शर्तों के परिपालन में) की जाना है। जिसकी सार्वजनिक नीलामी दिनांक 24.03.2017 को 1.00 बजे स्थान नवीन उपमंडी मल्हारगढ़ के परिसर में की जायेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	स्थल का नाम	भू-खण्ड की साईज वर्ग मीटर में	भू-खण्डों की संख्या			वर्ष 2016-17 की अपसेट कीमत	निकेप अग्रिम राशि रूपये	अनुज्ञापित फीस वार्षिक
			अनारक्षित	आरक्षित	कुल भू-खण्डों की संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उपमंडी मल्हारगढ़	6X16.50 वर्ग मीटर कुल 99 वर्ग मीटर	14	02	16	475200	47600	2970

शर्त :-

1. 10000 भूमि एवं संरचना आवंटन नियम 2009 के समस्त नियम एवं प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. निकेप (अग्रिम) दस प्रतिशत राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में सचिव, कृषि उपज मंडी समिति पिपलिया जिला मंदसौर के नाम से देय होगी, जो कि नीलामी बोली के पूर्ववर्ती तारीख 23.03.2017 को दोपहर 3:30 बजे तक आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र व्यक्ति/फर्म के लिये 10 प्रतिशत भू-खण्ड आरक्षित रहेंगे। जिसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा नीलामी/प्रस्थापना (ऑफर) हेतु अग्रिम निकेप राशि जमा नहीं करने पर अथवा राशि जमा उपरान्त नीलामी/प्रस्थापना (ऑफर) में भाग नहीं लेने पर आरक्षित भू-खण्ड को अनारक्षित माना जायेगा तथा तदनुसार निपटारा किया जायेगा।

4. नीलामी/प्रस्थापना (ऑफर) में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को मूल मंडी प्रांगण में पहले से ही कोई संरचना आवंटित है, साथ ही जिस पर मंडी का कोई भी शोध्य राशि अवशेष है तो वह निविदा आमंत्रण में भाग लेने के योग्य नहीं होगा।
5. आवंटित भू-खण्ड पर गोदाम निर्माण मंडी समिति द्वारा निर्धारित रूपांकन, ड्राइंग, डिजाइन अनुसार एक रूपता में करना होगा। ननमानी से किया गया निर्माण कार्य अवैध होकर अमृन्य होगा।
6. नीलामी/प्रस्थापना (ऑफर) में भाग लेने वाले व्यक्ति को मंडी समिति पिपलिया की उपमंडी मल्हारगढ़ का अनुज्ञप्तिधारी होना अनिवार्य होगा।
7. मंडी समिति द्वारा आवंटित भू-खण्ड की समस्त राशि एक मुश्त आवंटित तारीख से 01 माह में जमा कराना होगी तथा भू-खण्ड का निर्माण 11 माह में पूर्ण करना होगा। अन्यथा भू-खण्ड आवंटन निश्चित समयावधि के पश्चात स्वतः निरस्त माना जावेगा।
8. आवंटित भू-खण्ड की रजिस्ट्री मंडी समिति की सूचना पर तत्काल कराना अनिवार्य होगा एवं अनुज्ञप्ति शुल्क भी रजिस्ट्री दिनांक से लागू होगा।
9. भू-खण्ड आवंटन से संबंधित अन्य जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में अधिकार दिवस को छोड़कर कार्यालय में देखी जा सकती है।



(रुरश रुरश)
अध्यक्ष

कृषि उपज मंडी समिति पिपलिया

क्रमांक/मंडी/निर्माण/16-17/2089

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान प्रबंध संचालक महोदय, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला मंदसौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमान उपसंचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमान कार्यपालन यंत्री महोदय, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग मंदसौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री मानसिंह मुनिया, नोडल अधिकारी एवं सचिव, कृषि उपज मंडी समिति मंदसौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. संपादक दैनिक की ओर आगामी अंक में 2000/-रु0 की सीमा में प्रकाशन कर समाचार पत्र की पांच प्रतियों के साथ बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
7. मंडी समिति पिपलिया/उपमंडी मल्हारगढ़/नारायणगढ़/नगर पंचायत पिपलिया/जनपद पंचायत मल्हारगढ़ के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।


(राजेन्द्र कन्नोजिया)
सचिव

कृषि उपज मंडी समिति पिपलिया
पिपलिया दिनांक 09/03/2017


सचिव

कृषि उपज मंडी समिति पिपलिया